

सातवां अध्याय - राजस्व प्राप्तियाँ सामान्य


7.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2002-03 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहीत कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का राज्यांश एवं सहायक अनुदान एवं विगत दो वर्षों के लिये समरूप आँकड़े निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

स.क्र.	विवरण	नवम्बर 2000 से मार्च 2001	2001-02	2002-03
I	राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व			
	(क) कर राजस्व	749.69	1993.13	2327.44
	(ख) कर-भिन्न राजस्व	288.23	722.38	956.56
	योग:-	1037.92	2715.51	3284.00
II	भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
	(अ) विभाज्य संघीय करों का राज्यांश	509.94	1175.80 ⁵⁹	1349.90
	(ब) सहायक अनुदान	335.06	484.39	783.40
	योग:-	845.00	1660.19	2133.30
III	राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I+II)	1882.92	4375.70	5417.30
IV	1 से 3 का प्रतिशत	55	62	61

विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत निम्न चार्ट में दर्शाया गया है ।



7.1.1 वर्ष 2002-03 के दौरान संग्रहीत कर राजस्व के साथ विगत दो वर्षों के लिये आँकड़ों के विवरण नीचे दिये गये हैं -

स. क.	राजस्व शीर्ष	(करोड़ रुपये में)			2001-02 की तुलना में 2002-03 में आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
		2000-01 (11/2000 से 3/01)	2001-02	2002-03	
1	(अ) वाणिज्यिक कर	353.60 ⁶⁰	563.91	768.08	(+) 36.21
	(ब) केन्द्रीय विक्रय कर	-	376.19	334.35	(-) 11.12
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	122.64	313.61	361.73	(+) 15.34
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	62.37	121.35	148.10	(+) 22.04
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	79.76	226.06	244.33	(+) 8.08
5.	वाहनों पर कर	35.21	124.88	157.81	(+) 26.37
6.	माल और यात्रियों पर कर	60.97	196.27	251.55	(+) 28.17
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर होटल प्राप्ति कर सहित व्यवसाय वृत्ति व्यापार एवं रोजगार पर कर	28.56	47.62*	42.41	(-) 10.94
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2.77	6.67*	6.52	(-) 2.25
9.	भू-राजस्व	3.81	16.57	12.56	(-) 24.20
10.	कृषि आय पर कर	-	-	-	-
	योग	749.69	1993.13*	2327.44	(+) 16.77

* भारत सरकार से प्राप्तियाँ, विभाज्य संघीय करों का राज्यांश और राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व के मध्य पुनः समायोजन के कारण, वर्ष 2001-02 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तुलना में आंकड़े भिन्न हैं ।

अन्तर के कारण विभागों से माँगे जाने पर भी प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2004)।

⁶⁰ केन्द्रीय विक्रय कर के आँकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वाणिज्यिक कर के उपरोक्त आँकड़ों में

7.1.2 वर्ष 2002-03 के दौरान संग्रहीत मुख्य कर-भिन्न राजस्व के साथ विगत दो वर्षों के लिए आँकड़ों के विवरण नीचे दिये गये हैं-

स.क.	राजस्व शीर्ष	(करोड़ रुपये में)			2001-02 की तुलना में 2002-03 में आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
		2000-01 (11/2000 से 3/01)	2001-02	2002-03	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	3.47	49.12	95.65	(+) 94.73
2.	डेरी विकास	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	19.54	48.42	77.26	(+) 59.56
4.	वानिकी और वन्य प्राणी	45.77	98.19	105.84	(+) 7.79
5.	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	199.19	454.04	538.14	(+) 18.52
6.	विविध सामान्य सेवायें (लॉटरी प्राप्तियों सहित)	0.71	6.04	1.99	(-) 67.05
7.	ऊर्जा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	10.38	38.20	53.73	(+) 40.65
9.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	0.17	3.28	2.40	(-) 26.83
10.	सहकारिता	2.72	3.58	3.99	(+) 11.45
11.	लोक निर्माण	1.89	6.95	10.03	(+) 44.32
12.	पुलिस	0.90	2.70	2.59	(-) 4.07
13.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	3.49	11.86	64.94	(+) 447.55
	योग	288.23	722.38	956.56	(+) 32.42

अन्तर के कारण विभागों से मांगे जाने पर भी प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2004)। तथापि वित्त विभाग ने प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत असाधारण वृद्धि को गलत वर्गीकरण पर आरोपित किया।

7.2 सरकारी राजस्व में अनुवर्तन पर टिप्पणी

वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिये बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 2745.91 करोड़ रुपये के कर राजस्व एवं 873.39 करोड़ रुपये कर-भिन्न राजस्व को शामिल करते हुए, 5384.46 करोड़ रुपये के लिये राजस्व प्राप्तियों का एक अनुमान प्रस्तुत किया। कर एवं कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ क्रमशः 2856.14 करोड़ रुपये एवं 956.56 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व में चार प्रतिशत वृद्धि थी और कर भिन्न राजस्व

में यह 10 प्रतिशत थी। अनुमानित राजस्व घाटा 495.54 करोड़ रुपये था। अनुमानित से वास्तविक घाटा 113 करोड़ रुपये काफी कम था।

छत्तीसगढ़ शासन ने 2000-01 से 2004-05 के लिये एक मध्यावधि वित्तीय सुधार कार्यक्रम बनाया (मार्च 2003)। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सुधार हेतु प्रस्तावित उपाय मुख्यतः (क) कर आधार बढ़ाना, (ख) वर्ष-दर वर्ष आधार पर कर दर बढ़ाना (ग) उपयोगकर्ता प्रभार की सूचीकरण पर व्यापक अध्ययन करना आदि थे। मध्यावधि वित्तीय सुधार कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा अपनायी गई धारणाओं के अनुसार 2001-02 की तुलना में 2002-03 में कर राजस्व में सात प्रतिशत वृद्धि की आशा की गई थी जबकि कर-भिन्न राजस्व के लिये यह 21 प्रतिशत थी। 2001-02 की तुलना में 2002-03 में कर एवं कर-भिन्न राजस्व के लिये वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत क्रमशः 17 और 32 प्रतिशत था।

7.3 बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों में अन्तर

वर्ष 2002-03 में कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य अन्तर नीचे दिये गये अनुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर अधिक (+) या कमी (-)	अन्तर प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक कर	918.26	1102.43	(+) 184.17	20.06
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	390.00	361.73	(-) 28.27	7.25
3.	मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस	143.10	148.10	(+) 5.00	3.49
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	251.00	244.33	(-) 6.67	2.66

वाणिज्यिक कर:- वर्ष के दौरान अनुकूल व्यापारिक वातावरण होना अन्तर के कारण थे।

विद्युत पर कर और शुल्क:- बिजली की कम खपत होना अन्तर के कारण थे।

यद्यपि अन्य शीर्षों के सम्बन्ध में अन्तरों के कारण माँगे जाने पर भी सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2003)।

7.4 संग्रहण पर व्यय

2001-02 हेतु संग्रहण पर अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता के साथ 2000-01, 2001-02 और 2002-03 वर्षों के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय एवं सकल संग्रहण पर किये गये व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार था : -

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	2001-02 के लिये अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक कर	2000-01 (11/2000 से 3/2001)	353.60	3.83	1.08	
		2001-02	940.09	10.44	1.11	1.26
		2002-03	1102.43	11.60	1.05	
2.	वाहनों पर कर	2000-01 (11/2000 से 3/2001)	35.21	0.93	2.64	
		2001-02	124.88	3.61	2.89	2.99
		2002-03	157.81	3.94	2.50	
3.	राज्य उत्पादन शुल्क	2000-01 (11/2000 से 3/2001)	122.64	10.65	8.68	
		2001-02	313.61	39.71	12.66	3.21
		2002-03	361.73	22.94	6.34	

7.5 प्रति निर्धारिती वाणिज्यिक कर का संग्रहण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	वाणिज्यिक कर राजस्व	राजस्व/निर्धारिती
2000-01	39714	353.60	0.009
2001-02	42581	940.09	0.022
2002-03	44644	1102.43	0.025

7.6 बकाया राजस्व का विश्लेषण

कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2003 की स्थिति में 117.00 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया था जिसमें से निम्न तालिका में दर्शाये गये अनुसार 49.25 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे:-

(करोड़ रुपये में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष	31मार्च 2003 को लम्बित राशि	31मार्च 2003 को 5 वर्षों से अधिक समय से लम्बित राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	वाणिज्यिक कर	99.22	44.80	
2.	वाहनों पर कर	3.85	1.03	
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	13.45	3.19	
4.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	0.48	0.23	
		117.00	49.25	

अतः बकाया राजस्व की अपेक्षा राज्य का राजस्व घाटा (112.70 करोड़ रुपये) अधिक था। प्रभावी कर संग्रहण उपायों से अधिक घाटे को कम किया जा सकेगा।

7.7 निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष 2002-03 के प्रारंभ में लम्बित निर्धारण प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु योग्य होने वाले प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण और वर्ष के अन्त में निराकरण हेतु लम्बित प्रकरणों का विवरण:-

कर का नाम	प्रारंभिक शेष	2002-03 के दौरान निर्धारण योग्य नये प्रकरण	कुल निर्धारण योग्य	2002-03 के दौरान निराकृत प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	स्तंभ 5 का 3 से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक कर	53487	53088	106575	68852	37723	129.69
वृत्ति कर	26324	25660	51984	26518	25466	103.34
प्रवेश कर	23040	27270	50310	34345	15965	125.94
विलासिता कर	106	155	261	149	112	96.12
	102957	106173	209130	129864	79266	122.31

विभाग ने बताया कि कालातीत प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए अधिनियम के अनुसार लगातार निर्धारण की कार्यवाहियाँ जारी थी (जनवरी 2004)।

7.8 कर का अपवंचन

वाणिज्यिक कर एवं राज्य आबकारी विभागों द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन प्रकरण, विभागों द्वारा सूचित किये गये अनुसार अन्तिम रूप दिये गये एवं कर सृजित की गई अतिरिक्त माँगों के प्रकरणों के विवरण नीचे दिये गये हैं:-

क्र.सं.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2002 को लम्बित प्रकरण	2002-03 के दौरान पता लगाये गये प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूर्ण की गई एवं शास्ति सहित सृजित की गई अतिरिक्त माँग इत्यादि		31 मार्च 2003 को अन्तिम रूप देने हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	माँग की राशि (लाख रुपये में)	
1.	वाणिज्यिक कर	26	26	52	32	145.05	20
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	31	304	335	318	2.11	17

7.9 वापसियाँ

विभागों द्वारा सूचित किये गये अनुसार वर्ष 2002-03 के प्रारंभ में लम्बित वापसी प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान दी गई वापसियाँ और वर्ष 2002-03 के अन्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.		वाणिज्यिक कर		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित दावे	91	1.30	04	0.04
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1647	10.91	01	0.01
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियाँ	1521	10.43	-	-
4.	वर्ष के अन्त में लम्बित शेष	217	1.78	05	0.05

7.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002-03 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर यानकर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ एवं अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की, नमूना जाँच में 61293 प्रकरणों में 414.58 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण/कम वसूली/राजस्व हानि पाई गई। 2002-03 एवं पूर्व वर्षों

के दौरान की गयी लेखापरीक्षा के समय इंगित किये गये 57494 प्रकरणों में 165.52 करोड़ रुपये का अब-निर्धारण विभाग द्वारा स्वीकार किया गया एवं 0.55 करोड़ रुपये वसूल किये। शेष प्रकरणों के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

इस प्रतिवेदन में 11.04 करोड़ रुपये के करों, शुल्कों, ब्याज एवं शास्तियों की वसूली नहीं करने/कम वसूली करने से सम्बन्धित 27 कंडिकायें सन्निहित हैं। विभाग/सरकार द्वारा 1.65 करोड़ रुपये से सन्निहित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की गयी और जिसमें से जनवरी 2004 तक 0.03 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी। अन्य प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

7.11 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाया जाकर आग्रह किया जाता है कि वे अपना उत्तर छः सप्ताह के भीतर प्रेषित करें। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक ऐसी कंडिका के अन्त में विभाग से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य सतत रूप से दर्शाये गये हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 27 प्रारूप कंडिकायें सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के नाम से भेजी गई थीं (अगस्त 2003 एवं अक्टूबर 2003 के मध्य)। 285 प्रकरणों में अनुस्मारक पत्र जारी करने पर भी विभागाध्यक्षों ने प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर नहीं भेजे थे (दिसम्बर 2003)।

कर राजस्व

वाणिज्यिक कर

7.12 बन्द इकाईयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न करना

बन्द इकाईयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न करने के परिणाम स्वरूप 1.59 करोड़ रुपये की हानि

छत्तीसगढ़ राज्य में यथा प्रयोज्य मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 तथा इसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के तहत कर छूट योजना 1986 के अन्तर्गत कर अदायगी से छूट/कर स्थगन का लाभ लेने वाली एक औद्योगिक इकाई को कर भुगतान की छूट अवधि के दौरान तथा इस अवधि की समाप्ति के दिनांक से आगामी पाँच वर्ष की अवधि में भी ऐसी औद्योगिक इकाई को प्रचालन में रखना होगा। अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन करने पर पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त करने हेतु समर्पण करना होगा एवं परिणामतः संबंधित इकाई द्वारा कर अदायगी से प्राप्त की गई छूट की राशि वसूली की जायेगी।

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 1 अप्रैल 1994 से 21 जून 1999 की अवधि के लिए कर अदायगी स्थगन पात्रता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी का 1998-99 की अवधि के लिये निर्धारण किया गया था। परिणामतः निर्धारिती के उद्योग का 21 जून 2004 तक अर्थात् स्थगन अवधि की समाप्ति के दिनांक से पाँच वर्ष तक प्रचालन में रखना आवश्यक था। औद्योगिक इकाई 1998-99 में बन्द हो गई थी। इसलिए यह 1.59 करोड़ रुपये की राशि के कर स्थगन के लाभ लेने को पात्र नहीं थी क्योंकि इसने स्थगन की प्रारंभिक अवधि अर्थात् 21 जून 1999 तक इकाई को चालू रखने की आधारभूत शर्त भी पूर्ण नहीं की थी।

लेखापरीक्षा में अक्टूबर 2002 में इसे इंगित करने के पश्चात् निर्धारण अधिकारी ने बताया कि राज्य स्तरीय समिति इस अवधि को बढ़ा सकती है। यह प्रासंगिक उत्तर नहीं है क्योंकि इकाई प्रारंभिक छूट अवधि पूर्ण करने के पूर्व ही बन्द हो गई थी। इसलिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा अवधि बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वाणिज्यिक कर उपायुक्त ने फरवरी 2004 में इस प्रकरण में सूचित किया कि व्यापारी का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है।

प्रकरण सितम्बर 2003 में सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

7.13 टर्न ओवर का गलत निर्धारण

टर्न ओवर के गलत निर्धारण के परिणाम स्वरूप 82.38 लाख रुपये के कर का कम आरोपण

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की धारा 2 (यू) छत्तीसगढ़ में यथा प्रयोज्य एवं उस पर निर्णयों⁶¹ के तहत किराया भाड़ा पर किया व्यय अथवा द्वार परिदान आधार पर परिदान प्रभार विक्रय मूल्य का भाग होगा।

एक क्षेत्रीय कार्यालय⁶² एवं दो वृत्त कार्यालयों⁶³ के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया कि 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि के लिये जून 1998 एवं जनवरी 2002 के मध्य निर्धारित किये गये 18 व्यापारियों के 24 प्रकरणों में 9.70 करोड़ रुपये की राशि का परिवहन प्रभार करयोग्य टर्न ओवर में शामिल नहीं था यद्यपि यह विक्रय मूल्य का भाग था। इसके परिणामस्वरूप 82.38 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

नवम्बर 2000 एवं फरवरी 2003 के मध्य लेखापरीक्षा में इंगित किया गया और निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि भाड़ा प्रभार पृथक से प्रभारित किये गये थे एवं मैसर्स बेंगलोर साफ्ट ड्रिंक प्रायवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य⁶⁴ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मैसर्स बेंगलोर साफ्ट ड्रिंक प्रायवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य के प्रकरण में अनुबन्ध में परिवहन की व्यवस्था नहीं थी और न ही ये विक्रय मूल्य का भाग था। बल्कि एक अन्य व्यवस्था के तहत व्यापारी द्वारा माल का परिवहन किया गया था। इस प्रकरण में द्वार परिदान आधार पर अनुबन्ध में मूल्य उल्लिखित किया गया था एवं विक्रय मूल्य का भाग था इसके अतिरिक्त माल के परिवहन हेतु कोई पृथक अनुबन्ध विद्यमान नहीं था।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को सितम्बर 2003 में सूचित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

⁶¹ मेसर्स बिड़ला जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य के प्रकरण में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय (1997) 19 टी.एल.डी. 233

⁶² सहायक आयुक्त दुर्ग

⁶³ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-1 एवं 2, दुर्ग

⁶⁴ कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम बेंगलोर साफ्ट ड्रिंक प्रायवेट लिमिटेड प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय (2000) एस.टी.सी.जिल्द 117 पृष्ठ 413-419

7.14 क्रय कर का अनारोपण

कच्चे माल पर 75.82 लाख रुपये के क्रय कर एवं 8.32 लाख रुपये के ब्याज का अनारोपण

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के तहत दिनांक 24 मई 1996 को जारी सरकारी अधिसूचना के तहत निर्माण में उपयोग हेतु कर का भुगतान किये बिना क्रय किये गये कच्चे माल के प्रकरणों में कच्चे माल के मूल्य पर क्रय कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त यदि व्यापारी विवरणी अनुसार कर की राशि के भुगतान में असफल रहता है तो व्यापारी उक्त अधिनियम की धारा 26(4) के तहत ब्याज भुगतान हेतु दायी होगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रगट हुआ कि निम्न विवरणानुसार 84.14 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ था :

इकाई का नाम	लेखा अवधि निर्धारण का दिनांक (प्रकरणों की संख्या)	जिस का नाम करयोग्य राशि	कर की दर		कर का कम आरोपण	आक्षेप का सार	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा अभियुक्तियों
			आरोपणीय	आरोपित				
सहायक आयुक्त बिलासपुर	1997-98 अगस्त 2001(1)	सोयाबीन 387.00 लाख रुपये	1 प्रतिशत	निरंक	3.87 लाख 8.32 लाख	कच्चे माल पर क्रय कर आरोपित न करना ब्याज	पंजीकृत व्यापारी से कच्चा माल क्रय किया गया था अतः क्रय कर आरोपणीय नहीं था	सोयाबीन पर क्रय कर आरोपणीय था क्योंकि यह विक्रय नहीं बल्कि कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया था एवं सोयाबीन पर अंतिम विन्दु पर आरोपणीय था इसके अतिरिक्त अधिनियम के धारा 26(4) के अन्तर्गत 8.32 लाख रुपये का ब्याज भुगतान योग्य था
सहायक आयुक्त बिलासपुर	2000-01 नवम्बर 2001(1)	चाण्डी 486.00 लाख रुपये	4.6 प्रतिशत	निरंक	22.35 लाख 2.76 लाख	-तदैव- ब्याज	विक्रय कर आयुक्त परिपत्र दिनांक 6.4.88 के अनुसार क्रय कर आरोपित नहीं किया गया था	माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय ⁶⁵ के परिपेक्ष्य में क्रय कर आरोपणीय था
सहायक आयुक्त रायपुर	1998-99 दिसम्बर 2001(1)	चावल भूसी 1023 .00 लाख रुपये तेल हीन खली 257.15लाख रुपये	4 प्रतिशत 2.3 प्रतिशत	निरंक निरंक	40.92 लाख रुपये 5.92 लाख रुपये	-तदैव- -तदैव-	विभाग ने बताया कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ⁶⁶ के निर्णय अनुसार चावल भूसी एवं तेलहीन खली एक ही और समान हैं	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय कर्नाटक अधिनियम के प्रावधानानुसार है। छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम के अनुसूची 2 के तहत तेलहीन खली कर योग्य है
योग					84.14 लाख रुपये			

प्रकरण विभाग एवं सरकार को सितम्बर 2003 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

⁶⁵ गोविन्द प्रसाद अग्रवाल बनाम विक्रय कर अधिकारी, सिवनी एवं अन्य के प्रकरण में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय (1997) 30 विक्रय कर निर्णय 13

⁶⁶ तिलहन एवं तेल व्यापार एवं उद्योग के प्रकरण में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय (1988) एस.टी.सी. 234

7.15 प्रवेश कर का अनारोपण

अपंजीकृत व्यापारियों से क्रय किये गये कच्चे माल पर 19.45 लाख रुपये के प्रवेश कर का अनारोपण

मध्यप्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 (प्रवेशकर अधिनियम, 1976) के तहत अन्य माल के निर्माण में उपयोग किये गये कच्चे माल पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय होगा। उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 सहपठित छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा 69(2) के तहत कर भुगतान की किसी भी चूक की स्थिति में देय कर की तीन गुना, शास्ति आरोपणीय है।

7.15.1 क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि एक व्यापारी के 2000-2001 की अवधि हेतु, नवम्बर 2001 में निर्धारित प्रकरण में चपड़ी निर्माण हेतु अपंजीकृत व्यापारियों से 4.86 करोड़ रुपये मूल्य की लाख का क्रय किया गया था। इस पर एक प्रतिशत की दर से 4.86 लाख रुपये की राशि का आरोपणीय प्रवेशकर आरोपित नहीं किया गया था। क्रय को विवरणी में भी नहीं दर्शाया गया था। इसलिए 14.59 लाख रुपये (कर की तीन गुना) शास्ति भी आरोपणीय थी। इसके परिणाम स्वरूप कुल प्रवेश शुल्क एवं शास्ति 19.45 लाख रुपये का अनारोपण हुआ।

अक्टूबर 2002 में इसे इंगित किये जाने पर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि वाणिज्यिक कर आयुक्त इन्दौर द्वारा जारी किये गये परिपत्र⁶⁷ के अनुसार लाख पर कोई कर (क्रय कर, विक्रय कर, प्रवेश कर) आरोपणीय नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 जिसके तहत परिपत्र जारी किया गया था, पहले ही 1994 में नवीन मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के द्वारा अतिष्ठित किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 में परिपत्र संख्या 12/88/19/3493-1988 का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुसूची-2 भाग-5 प्रविष्टि 18 के तहत लाख कर योग्य है।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को सूचित किया गया था (अक्टूबर 2003), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

7.15.2 क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में यह देखा गया कि 1998-99 अवधि हेतु दिसम्बर 2001 में निर्धारित एक व्यापारी ने तेल एवं खली निर्माण में 10.26 करोड़ रुपये मूल्य की चावल भूसी का उपयोग किया परन्तु 10.26 लाख रुपये की राशि का प्रवेशकर आरोपित नहीं किया गया था। कर की तीन गुना दर से शास्ति भी पृथक से आरोपणीय थी। इसके परिणाम स्वरूप शास्ति सहित 41.04 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

अक्टूबर 2002 में इसे इंगित किये जाने पर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि चावल भूसी, अन्न की भूसी होने के कारण अनुसूची-1 के अतर्गत कर मुक्त थी। उत्तर मान्य

⁶⁷ परिपत्र-आयुक्त विक्रय कर क्रमांक 12/88/19/3493 दिनांक 6 अप्रैल 1988

नहीं है क्योंकि मैसर्स चौरड़िया, कबेलू उद्योग बनाम मध्यप्रदेश राज्य के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि चावल भूसी भूसे से अलग वस्तु है और इसलिए उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य है।

प्रकरण अक्टूबर 2003 में विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

7.16 नवीन उद्योगों को कर के भुगतान से गलत छूट

नवीन उद्योगों को कर के भुगतान से गलत छूट देने के परिणाम स्वरूप 59.76 लाख रुपये की राजस्व हानि

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम 1958 एवं इसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के तहत कर छूट योजना 1994 के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी की पात्रता प्रमाण पत्र धारक औद्योगिक इकाईयाँ 6 मई 1994 या उसके बाद के लिए विशिष्ट अवधि में निर्मित माल पर विक्रय कर के भुगतान से मुक्त है।

क्षेत्रीय सहायक आयुक्त रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 1998-99 की अवधि हेतु निर्धारित एक औद्योगिक इकाई को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 19 मार्च 1994 से 18 मार्च 2001 तक की अवधि के लिए कर भुगतान से छूट प्रदान की गई। औद्योगिक इकाई उक्त योजनान्तर्गत लाभ पाने की हकदार नहीं थी क्योंकि इसके द्वारा अधिसूचित दिनांक अर्थात् 6 मई 1994 से पूर्व ही उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका था। मार्च 1994 से मार्च 1998 हेतु प्राप्त की गई कर छूट की सम्पूर्ण राशि 59.76 लाख रुपये की वसूली की जानी थी ।

लेखापरीक्षा में अक्टूबर 2002 में इसे इंगित किये जाने पर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि उद्योग विभाग द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र अधिकारी पर बन्धनकारी था। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि औद्योगिक इकाई द्वारा कर छूट योजना 1994(6 मई 1994) प्रभाव में आने से पूर्व अर्थात् 19 मार्च 1994 को उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसलिए इस योजना के अन्तर्गत इकाई छूट के लिए पात्र नहीं थी। उसका पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने योग्य था एवं प्रकरण जिला स्तरीय समिति के ध्यान में लाया जाना चाहिये था।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को सितम्बर 2003 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

7.17 नवीन औद्योगिक इकाईयों को गलत छूट प्रदान करना

नवीन औद्योगिक इकाईयों को गलत छूट प्रदान करने के परिणाम स्वरूप 5.66 लाख रुपये के कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 एवं इसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 108 दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र धारक औद्योगिक इकाई उसके द्वारा निर्मित माल पर विक्रय कर के भुगतान से मुक्त है।

क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग में अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि सितम्बर 2001 में 1996-97 अवधि के लिये एक व्यापारी का निर्धारण किया गया था और 2.83 करोड़ रुपये के स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई। यह पात्रता प्रमाण पत्र के अन्तर्गत नहीं आती थी एवं परिणाम स्वरूप 5.66 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

प्रकरण अगस्त 2003 में विभाग एवं सरकार को सूचित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

7.18 शास्ति का अनारोपण

कर जमा न करने से 18.35 लाख रुपये की शास्ति आकर्षित होना

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की धारा 69 के अन्तर्गत यदि विवरणी के अनुसार कुल कर भुगतान योग्य के रूप में दर्शाया गया है एवं व्यापारी द्वारा निर्धारित किये गये कुल कर से 80 प्रतिशत से कम का भुगतान किया जाता है तो यह समझा जावेगा कि व्यापारी द्वारा टर्न ओवर को छिपाया गया है एवं आयुक्त अथवा अपीलीय अथवा पुनरीक्षण अधिकारी अपवंचित कर की न्यूनतम 5 गुना शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही पृथक से कर सकता है।

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि 1995-96 की अवधि हेतु अगस्त 2001 में पुनर्निर्धारित एक व्यापारी ने उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणी में स्वयं स्वीकार किये गये 3.67 लाख रुपये के प्रवेश कर के विरुद्ध कोई कर जमा नहीं किया। कर जमा न करने से न्यूनतम 18.35 लाख रुपये की शास्ति आकर्षित होती है इसकी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

निर्धारण अधिकारी कार्यवाही करने हेतु सहमत था एवं धारा 62(3) के अन्तर्गत पुनरीक्षण हेतु प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त को भेजा गया था (अप्रैल 2003)। परन्तु अभी भी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी (फरवरी 2004)।

प्रकरण अगस्त 2003 में विभाग एवं सरकार को भेजा गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (जनवरी 2004)।

7.19 कर का अनारोपण

बारदाना के विक्रय पर कर का संग्रहण न करने के परिणामस्वरूप 16.53 लाख रुपये के कर का अनारोपण

मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों (छत्तीसगढ़ में यथा प्रयोज्य) में प्रावधान है कि यदि कर भुगतान किये गये बोरे, कर योग्य वस्तुओं के साथ विक्रय किये जाते हैं तो करयोग्य माल की तरह करारोपण किया जावेगा। इस मत की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी की गई थी।

क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि एक सीमेन्ट व्यापारी, जिसका वर्ष 1991-92 के लिये मई 1998 में पुनर्निर्धारण किया गया था, कर भुगतान किये गये 193.49 लाख रुपये मूल्य का बारदाना⁶⁸ कर योग्य माल के साथ विक्रय किया गया। बारदाना के विक्रय पर कर संग्रहीत किये बिना निर्धारण किये जाने के परिणाम स्वरूप 16.53 लाख रुपये की राशि के कर की कम वसूली हुई।

सितम्बर 2000 में इसके इंगित किये जाने पर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय⁶⁹ के निर्णय के प्रकाश में कार्यवाही की जावेगी।

प्रकरण अगस्त 2003 में विभाग एवं सरकार को सूचित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (जनवरी 2004)।

7.20 कर एवं शास्ति का अनारोपण

व्यापारी द्वारा उत्तरवर्ती विक्रय पर कर वसूलने के परिणाम स्वरूप 4.80 लाख रुपये के कर 0.18 लाख रुपये की शास्ति एवं उसपर 7.29 लाख रुपये के ब्याज का अनारोपण हुआ ।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कर के रूप में कोई राशि संग्रहीत करता है तो वह साधारण कारावास, जिसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों का दण्डनीय होगा, एवं यदि यह अपराध लगातार जारी रहता है तो दैनिक अर्थदण्ड जो पचास रुपये प्रतिदिन तक, अपराध जारी रहने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

वृत्त कार्यालय दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि एक व्यापारी जिसका 1998-99 की अवधि के लिये अक्टूबर 2001 में निर्धारण किया गया था। ई-1 एवं सी घोषणा पत्र की सामर्थ्य के विरुद्ध 1.20 करोड़ रुपये मूल्य का माल विक्रय किया। कोई कर आरोपणीय नहीं था, क्योंकि यह एक उत्तरवर्ती विक्रय था तथापि,

⁶⁸ बारदाना एक पैकिंग सामग्री है

⁶⁹ प्रीमियर ब्रेवरीज बनाम केरला राज्य के प्रकरण में उच्च न्यायालय का निर्णय (टी.एल.डी. 1999) पृष्ठ 241

व्यापारी द्वारा उपरोक्त विक्रय पर 4.80 लाख रुपये का कर वसूल किया गया और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर इसे शासकीय लेखों में जमा नहीं किया गया। परिणामतः अप्रैल 1998 से मार्च 1999 की अवधि हेतु 18250 रुपये की शास्ति एवं अप्रैल 1999 से दिसम्बर 2003 की अवधि के लिये 7.29 लाख रुपये का ब्याज आरोपणीय था। विभाग द्वारा अनियमित रूप से संग्रहीत किये गये कर की वसूली हेतु न तो कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई और न ही अधिनियम के तहत अपेक्षित शास्ति के आरोपण हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई। इसके परिणाम स्वरूप शासन को कुल 12.27 लाख रुपये की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में फरवरी 2003 में इंगित किये जाने पर निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2003 में उत्तर दिया कि अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत ये उत्तरवर्ती विक्रय था, इसलिये कोई कर आरोपणीय नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि व्यापारी ने प्रावधानों के विरुद्ध कर संग्रहीत किया था एवं संग्रहीत कर शासन को जमा नहीं किया गया था।

प्रकरण सितम्बर 2003 में विभाग एवं सरकार को सूचित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2004)।

7.21 अनुवर्ती विक्रय पर गलत छूट

अनुवर्ती विक्रय पर गलत कटौती के परिणाम स्वरूप, 1.36 लाख रुपये के केन्द्रीय विक्रय कर का अनारोपण

केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अंतर्गत जब किसी वस्तु की बिक्री उसके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के दौरान, अधिकार के दस्तावेजों के हस्तान्तरण के माध्यम से हुई हो, इस प्रकार दस्तावेजों के अधिकार के हस्तान्तरण के माध्यम से हुई कोई भी बाद की बिक्री कर-मुक्त होगी बशर्तें व्यापारी द्वारा सी फार्म से समर्थित फार्म "ई-1" में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया हो।

वृत्त कार्यालय रायपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि एक व्यापारी का 1993-94 की अवधि का पुनर्निर्धारण दिसम्बर 1999 में किया गया था और फीड प्लेट तथा एम.एस.वीयरिंग प्लेट विक्रय को बाद की बिक्री मानते हुये, सी फार्म प्रस्तुत किये बिना "ई-1" फार्म प्रस्तुत करने पर 17.02 लाख रुपये की कटौती प्रदान की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बाद की बिक्री पर गलत कटौती देने के परिणामतः घोषित वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर आठ प्रतिशत की दर से 1.36 लाख रुपये की राशि के केन्द्रीय विक्रय-कर का अनारोपण हुआ।

प्रकरण अगस्त 2003 में विभाग एवं सरकार को सूचित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

7.22 कर की गलत दर लागू करना

कर की गलत दर लागू किये जाने के परिणाम स्वरूप 1.71 लाख रुपये की राजस्व हानि

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम (यथा प्रयोज्य)नियम और उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के तहत अनुसूची -2 में उल्लिखित दरों से विभिन्न वस्तुओं पर कर आरोपणीय है।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार दरों के गलत लागू किये जाने के कारण 1.71 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

इकाई का नाम प्रकरणों की संख्या	लेखा अवधि निर्धारण का दिनांक	वस्तु का नाम कर योग्य राशि (लाख रु. में)	15% की दर से अधिभार को सम्मिलित करते हुए कर की दर		कम करारोपण (लाख रु. में)	आपत्ति का सार	विभाग का उत्तर	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां/ अभ्युक्तियाँ
			आरोपणीय	आरोपित				
वृत्त कार्यालय बिलासपुर 2	1999-2000 जून 2000	कम्प्यूटर पार्ट्स 23.57	6.9 प्रतिशत	2.3 प्रतिशत	1.08	निम्न दर से कर आरोपित किया गया	अधिसूचना क्रं. 22 दिनांक 9.5.1997 के परिप्रेक्ष्य में कर आरोपित किया गया था	कम्प्यूटर पार्ट्स पर घटी दर लागू नहीं थी
वृत्त कार्यालय महासमुंद 1	1997-98 दिसम्बर 2000	महूआ फूल 28.00	9.2 प्रतिशत	6.9 प्रतिशत	0.63	-तदैव-	0.63 लाख रुपये कर की मांग सुजित की गई	वसूली प्रतीक्षित है

प्रकरण विभाग को अगस्त 2003 में सूचित किये गये थे ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

राज्य उत्पाद शुल्क

7.23 शर्करा परिमाण के अनुरूप अल्कोहल का उत्पादन न होना

शर्करा परिमाण के अनुरूप अल्कोहल का उत्पादन न होने के परिणाम स्वरूप उत्पाद शुल्क की हानि - 20.07 लाख रुपये

मध्य प्रदेश आसवनी नियमावली 1995 (नियम) (छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा यथा प्रयोज्य) में प्रावधान है कि आसवनी अधिकारी ऐसे अंतराल पर जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावे शीरे के नमूने लेगा तथा रासायनिक विश्लेषण के लिये विभागीय प्रयोगशाला को भेजेगा। विभागीय प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आसवनी अधिकारी नियमानुसार अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा की गणना करेगा।

बिलासपुर जिले की एक आसवनी⁷⁰ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जून से नवम्बर 2001 के दौरान विभाग द्वारा लिए गए 57 शीरे के नमूने विभागीय प्रयोगशाला को नौ दिन से छः माह के उपरांत भेजे गये एवं एक माह से आठ माह के

⁷⁰ मैसर्स वेलकम डिस्टिलरी, बिलासपुर

विलम्ब के पश्चात जांचे गये। इसके परिणाम स्वरूप आसवनी प्रतिवेदनों के शर्करा घटक 42.37 प्रतिशत से कम होकर 36.86 प्रतिशत रह गया। आसवक ने इस अवधि में 26,550 क्विंटल शीरे का उपयोग किया एवं आसवनी के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदनों के अनुसार 9.81 लाख प्रूफ लीटर के न्यूनतम उत्पादन के विरुद्ध 8.97 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन किया। परिणामतः 0.84 लाख प्रूफ लीटर कम अल्कोहल की प्राप्ति 20.07 लाख रुपये के राज्य उत्पाद शुल्क की हानि की सूचक थी।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर सहायक आबकारी आयुक्त बिलासपुर ने जून 2002 में बताया कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों से अल्कोहल का उत्पादन अधिक था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शीरे के परीक्षण में विलम्ब से शर्करा घटक में कमी हुई एवं तत्सम उत्पादन कम हुआ और इसलिए तुलना के लिये आधार रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को सितम्बर 2003 में सूचित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

वाहनों पर कर

7.24 वाहन कर और शास्ति का कम आरोपण / अनारोपण

अधिनियम 1991 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणाम स्वरूप 69.33 लाख रुपये के कर एवं शास्ति का अनारोपण

छत्तीसगढ़ राज्य में यथा प्रयोज्य, मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य में उपयोग किये गये अथवा उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक वाहन पर निर्धारित दरों से कर आरोपणीय है। देय कर का भुगतान न करने की स्थिति में वाहन स्वामी देय कर के अतिरिक्त, प्रत्येक माह अथवा उसके किसी भाग की चूक के लिये भुगतान न किये गये कर के एक तिहाई की दर से शास्ति के भुगतान करने के लिये उत्तर दायी होगा परन्तु यह भुगतान न की गई राशि के दुगने से अधिक नहीं होगा।

7.24.1 जून 1997 और मार्च 2001 के मध्य की अवधि के लिये तीन⁷¹ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा राज्यों के सड़क परिवहन निगमों के आपसी परिवहन करारों के अंतर्गत चलाये 12 वाहनों तथा बिहार सरकार द्वारा जारी किये गये अंतर्राज्यीय परमिटों पर चल रहे छः वाहनों सहित 33 सार्वजनिक सेवा वाहनों पर 23.39 लाख रुपये का वाहन कर आरोपित नहीं किया गया/कम आरोपित किया गया था। कर के अतिरिक्त 45.94 लाख रुपये की शास्ति आरोपणीय थी परन्तु आरोपित नहीं की गई थी। इसके

⁷¹ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अम्बिकापुर, बिलासपुर एवं रायपुर

परिणाम स्वरूप शास्ति सहित 69.33 लाख रूपये के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

लेखा परीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अम्बिकापुर और रायपुर ने फरवरी 2000 और जनवरी 2002 में बताया कि प्रकरणों की छानबीन करने के उपरांत कार्यवाही की जावेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर ने जून 2001 में बताया कि सभी वाहन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायगढ़ के अधिकार क्षेत्र में थे तथा उन्हें वसूली के लिये सूचित किया जा रहा था।

प्रकरण विभाग तथा सरकार को अगस्त 2003 में सूचित किया गया था ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

7.24.2 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो प्रकरणों में वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण अप्रैल 1996 और मार्च 1999 के मध्य 0.75 लाख रूपये के वाहन-कर का आरोपण नहीं किया गया था। कर के अतिरिक्त 1.49 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी, जो आरोपित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2.24 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

नवम्बर और दिसम्बर 1999 में इसे इंगित किये जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर ने दिसम्बर 1999 में बताया कि सत्यापन के उपरांत कर की वसूली के लिये मांग-पत्र जारी किया जावेगा।

प्रकरण विभाग तथा सरकार को अगस्त 2003 में सूचित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (जनवरी 2004)।

7.25 जमा किये गये परमिटों को गलत स्वीकार करने के कारण वाहन-कर एवं शास्ति का अनारोपण

आरक्षित वाहनों के जमा परमिटों को गलत स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप 12.57 लाख रूपये के वाहन-कर और शास्ति का अनारोपण

मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के नियम 12 के परन्तुक के अनुसार एक से अधिक आरक्षित वाहन रखने वाले स्टेज कैरिज परमिट धारक को यांत्रिक गड़बड़ी या मरम्मत तथा अनुरक्षण के आधार पर परमिट जमा करने की अनुमति नहीं दी जावेगी । इसके अतिरिक्त यदि मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के अंतर्गत मोटर वाहन पर देय कर का भुगतान नहीं किया गया हो तो परमिट धारक कर के अतिरिक्त, प्रत्येक माह या उसके किसी भाग की चूक के लिये कर की भुगतान न की गई राशि के एक तिहाई की दर से शास्ति का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा लेकिन यह कर की भुगतान न की गई राशि के दुगने से अधिक नहीं होगी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एक से अधिक आरक्षित वाहन रखने वाले पांच परमिट धारकों से अगस्त 2000 और

मार्च 2001 की अवधि हेतु परमिटों के जमा करने को गलत ढंग से स्वीकार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 8.25 लाख रुपये की शास्ति सहित 12.57 लाख रुपये के वाहन कर का अनारोपण हुआ।

जून 2001 में इसे इंगित किये जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जून 2001 में बताया कि अभिलेखों की संवीक्षा के पश्चात वस्तुस्थिति से अवगत कराया जावेगा।

प्रकरण विभाग तथा सरकार को सितम्बर 2003 में सूचित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (जनवरी 2004)।

भू-राजस्व

7.26 कार्यवाही शुल्क का अनारोपण

कार्यवाही शुल्क के अनारोपण के परिणामस्वरूप 4.60 लाख रुपये की राजस्व हानि।

आयुक्त वित्तीय संस्थाएं मध्य प्रदेश शासन भोपाल के आदेश दिनांक 6 मार्च 1996 की कंडिका 4 जो 1 अप्रैल 1995 लागू है, के सह पठनीय मध्य प्रदेश लोकधन (शोधन राशियों की वसूली अधिनियम 1987) के प्रावधानों में राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र में दोषियों से देय राजस्व की मूल राशि के तीन प्रतिशत की दर से कार्यवाही शुल्क जोड़े जाने की व्यवस्था है।

जुलाई 2002 से सितम्बर 2002 के मध्य कांकेर, रायपुर, दंतेवाड़ा जिलों की तीन तहसीलों (अंतागढ़, तिल्दा, बीजापुर) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 1998-99 से 2001-2002 तक की अवधि हेतु 1.53 करोड़ रुपये की मूल राशि की मांग सृजित करते समय कार्यवाही शुल्क के 4.60 लाख रुपये सम्मिलित नहीं किये गये थे। इसके परिणाम स्वरूप शासन को 4.60 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रकरण विभाग तथा सरकार को अगस्त 2003 सूचित किया गया था ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2004)।

7.27 ब्याज / किराये का अनारोपण / वसूली न करना

प्रब्याजि और भू-भाटक नियत दरों से प्रब्याजि एवं पट्टा किराया भुगतान न करने के परिणाम स्वरूप 1.31 लाख रुपये के किराये एवं 7.16 लाख रुपये के ब्याज के अनारोपण

भू-आबंटन शर्तें (अप्रैल 1993) के सह-पठनीय राजस्व परिपत्र पुस्तक में प्रावधान है कि कब्जा लेने के दिनांक से निर्धारित दरों से प्रब्याजि एवं भू-भाटक के भुगतान पर स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि आबंटित की जा सकती है। वित्तीय वर्ष या उसके प्रारंभ होने से

पूर्व प्रत्येक वर्ष किराया वसूली योग्य है। चूक की स्थिति में सभी शासकीय देयताओं पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वर्ष 1989 से वसूली योग्य है।

तहसीलदार पलारी (बालोदा बाजार) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल (अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल) को, 2.50 एकड़ माप की खुली भूमि क्रमशः 4.36 लाख रुपये और 0.32 लाख रुपये वार्षिक के प्रब्याजि और भू-भाटक के भुगतान पर आबंटित की गई थी।

1987-88 से 2002-2003 की अवधि के लिये प्रब्याजि और किराये के रूप में देय 9.59 लाख रुपये के विरुद्ध पट्टा धारक ने 8.28 लाख रुपये जमा किये। परिणामस्वरूप 1999-2000 से 2002-2003 की अवधि के लिये भू-भाटक के रूप में 1.31 लाख रुपये की वसूली शेष रही। इसके अतिरिक्त शासकीय देयताओं के विलम्बित भुगतान हेतु चूक के लिए 7.16 लाख रुपये का ब्याज भी आरोपणीय था जिसकी न तो विभाग द्वारा मांग की गई न ही पट्टाधारी के द्वारा भुगतान किया गया था। इसलिए किराया और ब्याज के रूप में 8.47 लाख रुपये वसूली हेतु शेष रहे।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर शासन ने नवम्बर 2003 में सूचित किया कि तहसीलदार रायपुर के माध्यम से कार्यपालन यंत्री सिविल, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को 8.47 लाख रुपये और 1.46 लाख रुपये के कार्यवाही व्यय के कुल 9.93 लाख रुपये के भुगतान हेतु मांग-पत्र जारी किया जा चुका है। तथापि वास्तविक वसूली के विवरण प्राप्त नहीं हुये थे (जनवरी 2004)।

अन्य कर राजस्व मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

7.28 बाजार मूल्य के निर्धारण में विलम्ब/अवमूल्यांकन के कारण राजस्व हानि

बाजार मूल्य के निर्धारण में विलम्ब/अवमूल्यांकन के कारण 8.19 लाख रुपये की राजस्व हानि

छत्तीसगढ़ में यथा प्रयोज्य, भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (अधिनियम) में प्रत्येक सम्पत्ति के हस्तांतरण विलेख में बाजार मूल्य को विनिर्दिष्ट किया जाना वांछित है, जिसके आधार पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस निश्चित की जाती है। अधिनियम, उप पंजीयक को यदि उसके पास यह विश्वास करने योग्य कारण हो कि दस्तावेज में सम्पत्ति का सही बाजार मूल्य उल्लिखित नहीं किया गया है, तो सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिये दस्तावेज को कलेक्टर मुद्रांक को संदर्भित करने हेतु अधिकृत करता है। उप पंजीयक द्वारा बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु कलेक्टर को प्रकरण संदर्भित करने के अनुदेशों (मार्च 1977) के अनुसार कलेक्टर को संदर्भित करने के दिनांक से नौ माह की अवधि के भीतर अंतिम रूप देना होता है। दस्तावेज में उल्लिखित मूल्य असत्य होने पर निष्पादक से 5000 रुपये प्रति दस्तावेज के हिसाब से शास्ति आरोपित की जावेगी।

दो उप-पंजीयकों⁷² के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मार्च 1999 एवं फरवरी 2002 के मध्य में पंजीकृत 31 दस्तावेजों पर सम्पत्तियों का मूल्य उसी वार्ड/पटवारी हल्का की उसी प्रकार की सम्पत्तियों के औसत प्रचलित बाजार मूल्य से कम उल्लिखित किया गया था। इसके अतिरिक्त कतिपय दस्तावेजों में सिंचित ग्रामीण भूमि को बिना सिंचाई विभाग के प्रमाणीकरण के असिंचित मानकर मूल्यांकन किया गया था।

उप-पंजीयक ने बाजार मूल्य और उन पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क के निर्धारण के लिये प्रकरण कलेक्टर को संदर्भित नहीं किये थे। इसके परिणाम स्वरूप 6.64 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत 5000.00 रुपये प्रति प्रकरण की दर से 1.55 लाख रुपये का अर्थदंड भी आरोपणीय था।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर उप-पंजीयक पंडरिया ने जुलाई 2002 में बताया कि सिंचाई विभाग से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सिंचित भूमि के मूल्यांकन के लिये दिशानिर्देशों के अनुसार ये गांव कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन गांवों की कृषि-भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के लिये लागू दरों पर किया जाना था।

उप पंजीयक पत्थलगांव ने जनवरी 2002 में बताया कि प्रकरण कलेक्टर को संदर्भित किये जावेंगे। प्रकरण में आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 2004)।

7.29 गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप 1.28 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन शुल्क की कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899, के प्रावधानों के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति को धन का भुगतान करता है तो बाँड इस शर्त पर दस्तावेज में सम्मिलित होगा कि यदि दस्तावेज में अंकित मूल्य पर चार प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क तथा मूल्य-आधारित दर से पंजीयन फीस भरित किया गया हो अन्यथा वह निरर्थक माना जावेगा चाहे इस तरह का कृत्य किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो। दूसरी तरफ करार पर केवल 50.00 रुपये मुद्रांक शुल्क तथा 10.00 रुपये पंजीयन शुल्क प्रभार्य है।

उप-पंजीयक बालोद (दुर्ग) के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया (नवम्बर 2001) कि सितम्बर 1999 में करार के रूप में वर्गीकृत दो दस्तावेज पंजीकृत किये गये थे तथा नगरपालिका बालौद और संचालक, नगरीय एवं ग्रामीण नियोजन मध्य प्रदेश भोपाल के मध्य 22 अप्रैल 1999 को निष्पादित किये गये थे। दुकानों के निर्माण सहित, छोटी और मध्यम नगरीय योजनाओं के एकीकृत विकास के लिये, नगर पालिका बालौद को 26.67 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। दस्तावेज की शर्तों के अनुसार नगर पालिका विशिष्ट

⁷² पंडरिया (राजनांदगांव) एवं पत्थलगांव (रायगढ़)

कार्यों के लिये उत्तरदायी थी एवं इसके उल्लंघन की स्थिति में अनुदान की संपूर्ण राशि एवं उस पर ब्याज सहित राज्य शासन को देय थी। इस प्रकार दस्तावेजों पर बाँड के रूप में शुल्क का आरोपण होना था न कि करार के रूप में। गलती के परिणामस्वरूप 1.28 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

लेखा परीक्षा में नवम्बर 2001 में इसे इंगित किये जाने पर प्रकरण कलेक्टर मुद्रांक के न्यायालय को संदर्भित किया गया था जिसने मार्च 2003 में लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि की। तथापि, कोई वसूली नहीं की गई थी (दिसम्बर 2003)।

प्रकरण महानिदेशक पंजीयन तथा सरकार को सूचित किया गया था (सितम्बर 2003) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जनवरी 2004)।

मनोरंजन शुल्क

7.30 मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

निर्धारित दरों पर शुल्क का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप 3.34 लाख रुपये के मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना

समय समय पर यथा संशोधित और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अंगीकृत मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम 1936 में से अधिनियम में निर्धारित दरों से केबल आपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क के आरोपण हेतु प्रावधान है। आपरेटरों द्वारा शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति भी जमा करनी होती है।

जिला आबकारी अधिकारी कोरिया और सरगुजा के अभिलेखों की अगस्त और नवम्बर 2002 में नमूना जांच में पाया गया कि 14 केबल आपरेटरों ने अगस्त 2001 से अक्टूबर 2002 तक मनोरंजन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा कुछ भी भुगतान नहीं किया था तथा दो केबल आपरेटरों ने देय राशि का पूरा भुगतान नहीं किया था। विभाग द्वारा भी देयताओं की मांग नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 3.34 लाख रुपये के मनोरंजन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी कोरिया ने नवम्बर 2002 में बताया कि जाँचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी, आबकारी अधिकारी सरगुजा ने अगस्त 2002 में बताया कि केबल आपरेटरों से देयताओं की वसूली की जावेगी।

प्रकरण जनवरी 2003 में आबकारी आयुक्त तथा सरकार को सूचित किया गया था। उत्तर में आबकारी आयुक्त ने जुलाई 2003 में सूचित किया कि जिला आबकारी अधिकारी कोरिया द्वारा 0.80 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी थी। अवशेष राशि की वसूली से संबंधित आगामी जानकारी प्रतीक्षित थी (जनवरी 2004)। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

कर-भिन्न राजस्व
वन प्राप्तियाँ

7.31. बाँस कूपों के कार्यशील न होने के कारण राजस्व की हानि

बाँस कूपों के कार्यशील न होने के परिणामस्वरूप 2.38 करोड़ रुपये की राजस्व हानि

मुख्य वन संरक्षक (राष्ट्रीयकरण) ने अक्टूबर 1975 में निर्देश जारी किये थे कि - जहाँ कूप में बाँस समूह विद्यमान हो तथा कूप का घनत्व कुछ भी हो बिना अपवाद के कार्य किया जाना है और कूप का कोई भी क्षेत्र बिना कार्य के न छोड़ा जाना है। बाध्य परिस्थितियों वश यदि यह आवश्यक हो जावे कि कूपों में कार्य नहीं किया जाए तो इसके लिये समय रहते वन संरक्षक की स्वीकृति प्राप्त कर ली जावे तथा इसे कूप नियंत्रण प्रपत्रों में अंकित किया जावे।

वन मंडलाधिकारी (सामान्य)दंतेवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वन संरक्षक की स्वीकृति के बिना वर्ष 1998-99 और 2000-2001 के दौरान 42 बाँस कूपों (14,322.524 हैक्टेयर कार्य योग्य क्षेत्र) को बिना कार्य किये छोड़ दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप शासन को 2.38 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर वन मंडलाधिकारी ने मार्च 2002 में बताया कि इन कूपों का पातन अलाभकारी होने से कूप बिना कार्य किये छोड़ दिये गये थे। इन कूपों के अपलेखन के लिये अलग से कार्यवाही की जा रही थी। मुख्य वन संरक्षक राष्ट्रीयकरण द्वारा अक्टूबर 1975 में जारी निर्देशों के प्रकाश में उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा सरकार को सितम्बर 2003 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

7.32 बाँस के कम उत्पादन के कारण हानि

बाँस के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रुपये की हानि

कूप के सर्वेक्षण एवं सैंपल प्लॉट निर्मित कर कूप से बाँस के उत्पादन का अनुमान निर्धारित किया जाता है। मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने नवम्बर 1997 में निर्देशित किया कि बाँस की प्राक्कलित और वास्तविक मात्रा में असामान्य अंतर नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त विभागीय अनुदेशों (जनवरी 1984) के अनुसार इमारती लकड़ी के प्राक्कलित और वास्तविक उत्पादन में 10 प्रतिशत तक अंतर मान्य है। तथापि बाँस के प्राक्कलित और वास्तविक उत्पादन में संभावित अंतर के लिये कोई मापदंड निर्धारित नहीं किये गये थे।

वन मंडलाधिकारी (सामान्य) नारायणपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में अप्रैल 2002 में पाया गया कि 2000-2001 के दौरान 7960.351 हैक्टेयर के कुल क्षेत्रफल से 4000 टन वाणिज्यिक और 20000 टन औद्योगिक बाँस के प्राक्कलित उत्पादन के

विरुद्ध 3374 टन व्यापारिक तथा 9288 टन औद्योगिक बाँस का दोहन किया गया था। इमारती लकड़ी की भांति 10 प्रतिशत का अंतर मान्य करने के पश्चात भी वाणिज्यिक और औद्योगिक बाँस के उत्पादन में क्रमशः 226 टन और 8712 टन की कमी थी जिसके परिणाम स्वरूप 1.42 करोड़ रुपये की हानि हुई।

अप्रैल 2000 में इसे इंगित किये जाने पर वन मंडलाधिकारी (सामान्य) नारायणपुर ने अगस्त 2003 में बताया कि बाँस उत्पादन के प्राक्कलन के लिये वांछित सैंपल प्लाट निर्माण नहीं किया गया था। इसलिए चूक कर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी।

प्रकरण सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सितम्बर 2003 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

7.33 इमारती लकड़ी के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि

इमारती लकड़ी के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप 27.23 लाख रुपये की हानि

चिन्हांकन और पातन का कार्य तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुदेशों (जनवरी 1984) के अनुसार इमारती लकड़ी के प्राक्कलित और वास्तविक उत्पादन के मध्य अधिकतम 10 प्रतिशत का अंतर मान्य है। यदि यह प्रतिशत उपरोक्त प्रतिशत से अधिक होता है तो इसके कारणों को सुनिश्चित कर उसके परिणाम अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को सूचित किये जाने चाहिये।

वन मंडलाधिकारी (सामान्य) रायपुर के अभिलेखों की अप्रैल 2002 नमूना जांच में पाया गया कि 2000-2001 के दौरान देवपुर और सोनाखान परिक्षेत्रों के चार कूपों से 33137 वृक्ष चिन्हांकित और पातित किये गये। इमारती लकड़ी की 1148 घन मीटर की प्राक्कलित मात्रा के विरुद्ध केवल 737.630 घन मीटर इमारती लकड़ी का दोहन हुआ यद्यपि चिन्हांकित और पातित वृक्षों के मध्य कोई अंतर नहीं था। 10 प्रतिशत स्वीकार्य अंतर के बाद भी 27.23 लाख मूल्य की, 295.570 घन मीटर इमारती लकड़ी का कम उत्पादन हुआ, परिणाम स्वरूप शासन को राजस्व की हानि हुई। कम उत्पादन के कारणों की जांच पड़ताल भी नहीं की गयी थी।

लेखा परीक्षा में अप्रैल 2002 में इसे इंगित किये जाने पर वन मंडलाधिकारी ने बताया कि कम उत्पादन का कारण पेड़ों का खोखलापन / कम मोटाई का होना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्पादन स्वीकार्य सीमा से काफी कम था तथा कम उत्पादन के सही कारणों को जानने के लिये कोई जांच पड़ताल भी नहीं की गई थी।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा सरकार को अगस्त 2003 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

खनन प्राप्तियाँ

7.34 रायल्टी की वसूली न होना

रायल्टी की निर्धारित दरें प्रभारित न करने के परिणाम स्वरूप 32.39 लाख रुपये की रायल्टी की वसूली न होना

खान तथा खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम 1957 में प्रावधान है कि पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से माह के दौरान निकाले गये तथा हटाये गये खनिजों पर निर्धारित दिनांक तथा निर्धारित दर से रायल्टी का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (अक्टूबर 1998)⁷³ के परिप्रेक्ष्य में पट्टाधारक अपने कर्मचारियों को निजी उपयोग के लिये प्रदाय किये गये खनिजों पर भी रायल्टी के भुगतान के लिये उत्तरदायी है।

खनन अधिकारी, कोरबा के अभिलेखों की जनवरी 2003 में, नमूना जाँच में पाया गया कि मै.साउथ ईस्ट कोल फील्ड्स लिमिटेड ने अप्रैल 2000 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों को निजी उपयोग के लिये प्रदत्त 30,658.68 मी.टन कोयला खनिज पर देय 32.39 लाख रुपये की रायल्टी जमा नहीं की थी। न तो रायल्टी का निर्धारण किया गया था न ही इस हेतु मांग सृजित की गई।

लेखापरीक्षा में जनवरी 2003 में इंगित किये जाने पर खनन अधिकारी ने बताया कि अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के तहत रायल्टी आरोपणीय नहीं थी। उड़ीसा राज्य बनाम मेसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण मर्यादित के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय VI (1998) एस.एल.पी. 553 दिनांक 14 अक्टूबर 1998 के परिदृश्य में उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण सरकार को अगस्त 2003 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

7.35 रायल्टी की कम वसूली

निर्धारित दरें प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप 23 लाख रुपये की रायल्टी की कम वसूली

खान तथा खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9(1) के अनुसार खनन पट्टाधारक पट्टा क्षेत्र से हटाये गये अथवा स्वयं द्वारा या उसके एजेन्ट, प्रबंधक, कर्मचारी या उप पट्टाधारक द्वारा खपत किये गये खनिजों के सम्बन्ध में द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से रायल्टी का भुगतान करेगा।

⁷³ उड़ीसा राज्य बनाम मेसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण मर्यादित VI (1998) एस.एल.पी. 553

खनन अधिकारी, दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि मैसर्स ए.सी.सी. जामुल ग्राम पथरिया ने अप्रैल 2000 और जून 2001 के मध्य, 9,30,900 मी.टन चूना पत्थर निकाला और हटाया जिसके लिये 3.37 करोड़ रुपये की रायल्टी भुगतान योग्य थी लेकिन केवल 3.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 23 लाख रुपये की रायल्टी की कम वसूली हुई।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनन तथा सरकार को अगस्त 2003 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (जनवरी 2004)।

7.36 किराया एवं ब्याज की वसूली न होना

निर्धारित दिनांकों को अनिवार्य किराये का भुगतान न किये जाने के परिणामस्वरूप 6.15 लाख रुपये के किराया और ब्याज की वसूली न होना

खान तथा खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम 1957 और खनिज रियायत नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार पट्टेदार, पट्टे पर लिये गये क्षेत्र से हटाये गये खनिजों पर, निर्धारित तिथि तक, रायल्टी अथवा अनिवार्य किराये के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा, इसमें चूक होने पर निर्धारित दिनांक के सोलहवें दिन से वह 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त शासन के अनुदेशों के अनुसार (सितम्बर 1995) पट्टेदार द्वारा, अनिवार्य किराये का भुगतान प्रति वर्ष 20 जनवरी तक किया जाना है।

खनन अधिकारी, रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (नवम्बर 2000) कि एक पट्टाधारी⁷⁴ द्वारा, 1995 से 2003 तक की अवधि के लिये देय 6,21,600.00 रुपये के विरुद्ध अनिवार्य किराये के 5,08,118.00 रुपये का भुगतान दो किस्तों (अगस्त 2002 तथा जनवरी 2003) में किया गया था। परिणामतः 1,13,482.00 रुपये का कम भुगतान किया गया था जिस पर जनवरी 2004 तक 1.10 लाख रुपये का ब्याज भी वसूली योग्य था। इसके अतिरिक्त अनिवार्य किराये का भुगतान नियत तिथियों पर नहीं किया गया जिससे विलम्बित भुगतानों पर 3.92 लाख रुपये की राशि के ब्याज की वसूली नहीं की गई थी परिणामतः 6.15 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर, खनन अधिकारी ने चूक को स्वीकार किया और अदेय किराया तथा देय ब्याज की वसूली हेतु सहमत हुए (जनवरी 2004)।

प्रकरण संचालक, भौमिकी एवं खनन तथा सरकार को अगस्त 2003 में सूचित किया गया तथा फरवरी 2004 में अनुस्मारक भेजा गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2004)।

⁷⁴ साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड

**अन्य कर - भिन्न प्राप्तियाँ
लोक निर्माण विभाग**

7.37 आवासीय भवनों (वर्गीकृत) की 2.15 लाख रुपये की लाइसेंस शुल्क की कम वसूली/वसूली न होना

लाइसेंस शुल्क की गलत दर लागू करने/वसूली न करने के परिणामस्वरूप 2.15 लाख रुपये की कम वसूली/वसूली नहीं हुई।

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग (सामान्य) के आदेश दिनांक 24 जून 2000 तथा छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के आदेश दिनांक 19 मार्च 2001 के द्वारा क्रमशः 1 जुलाई 2000 तथा जनवरी 2001 से आवासीय भवनों के लिये लाइसेंस शुल्क की नई दरें प्रभावशील थीं।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क), खैरागढ़ संभाग के अभिलेखों की नवम्बर 2002 में की गई नमूना जाँच में पाया गया कि लाइसेंस शुल्क की वसूली या तो पुरानी दरों पर की गई थी या की ही नहीं गई थी। इसके परिणामस्वरूप 7 प्रकरणों में 1.93 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई तथा 170 प्रकरणों में 0.22 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में नवम्बर 2002 में इंगित किये जाने के उपरांत कार्यपालन यंत्री ने नवम्बर 2002 में उत्तर दिया कि कार्यवाही की जावेगी।

प्रकरण, सितम्बर 2003 में प्रमुख अभियंता तथा सरकार को सन्दर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2004)।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

7.38 शासकीय भवनों के लाइसेंस शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण

गलत दरें लागू करने के परिणामस्वरूप 1.03 लाख रुपये की लाइसेंस शुल्क की कम वसूली।

मध्यप्रदेश शासन (छत्तीसगढ़ सरकार के लिये लागू) आदेश दिनांक 23 जून 1979 के अनुसार शासकीय भवनों पर, जिनका नींव क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर से अधिक हो, 2.55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 जुलाई 1979 से प्रभावशील लाइसेंस शुल्क आरोपणीय था।

खाद्य अधिकारी, रायपुर के अभिलेखों की, दिसम्बर 2002 में, नमूना जाँच में पाया गया कि खाद्य विभाग द्वारा अधिगृहीत, चार गोदाम (2239.64 वर्ग मीटर नींव क्षेत्रफल) 5711 रुपये प्रति माह की निर्धारित दर के विरुद्ध 4000 रुपये (1000 रुपये प्रति गोदाम) की नियत मासिक लाइसेंस शुल्क पर केन्द्रीय भण्डारण निगम को किराये पर दिये गये थे, परिणामस्वरूप अप्रैल 1998 से मार्च 2003 तक 1.03 लाख रुपये के लाइसेंस शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में फरवरी 2003 में इंगित किये जाने पर विभाग राशि को वसूल किये जाने पर सहमत हुआ (सितम्बर 2003)। तथापि, विभाग द्वारा वसूली का विवरण अभी तक सूचित नहीं किया गया है (जनवरी 2004)।

प्रकरण विभाग तथा सरकार को सितम्बर 2003 में सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (जनवरी 2004)।

रायपुर
दिनांक

(प्रेमन दिनाराज)
महालेखाकार, छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षर

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक